पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–15/14 190
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रबंध निदेशक;
झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम (लि॰),
(झालको), राँची, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 12-2-15

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796190545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	50–लघु सिंचाई विभाग/ 4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना /19 – लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796190545	**510.99**

आवंटित राशि – ₹ पाँच करोड़ दस लाख निन्यानबे हजार मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2014–15 के बजट उपबंध **रू॰ 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) मात्र** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जाएगा।
5. प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति में निहित निदेशों/शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. कार्यों की जाँच जिला में कार्यरत लघु सिंचाई प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं उनके स्तर से नियमित जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग को प्रेषित किया जाएगा।
7. अधीक्षण अभियंता मोनिटरिंग अंचल–3 एवं मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी॰ एल॰ खाता में जमा करेंगे।
15. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाऐगा।
16. कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।
17. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2015** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ 13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।
अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev
10/2

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 190 रॉची, दिनांक :– 12-2-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰– **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

Sukhdev
10/2

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 190 रॉची, दिनांक :– 12-2-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	Sukhdev 10/2 **(सुखदेव सिंह)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	**प्रधान सचिव**

पत्रांक – 190 /राँची, दिनांक – 12-2-15 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष – 19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200796190545
बजट उपबंध (वर्ष 2014–15) रू॰ 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र॰सं॰	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	गाँव	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2014 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची (RNCIRR035)	दुमका	दुमका	ग्वालसिमला	ग्वालसिमला पोखर का निर्माण	45/20.10.2014	19.761	0.000	**0.000**	**510.990**	**510.990**	**94820**	
2		दुमका	रामगढ़	जमबारी	जमबारी पोखर का निर्माण		24.006	0.000					
3		दुमका	रानेश्वर	जगदीशपुर	जगदीशपुर पोखर का निर्माण		28.318	0.000					
4		दुमका	रामगढ़	पथरिया	पथरिया पोखर का निर्माण		20.562	0.000					
5		साहेबगंज	बोरियो	शहरपुर	शहरपुर पोखर का निर्माण		17.892	0.000					
6		दुमका	जामा	कुल्हरिया	पोखर का निर्माण		23.926	0.000					
7		दुमका	जामा	गुनछुआ	गुनछुआ तालाब का निर्माण		25.730	0.000					
8		दुमका	जामा	अमरा	खास तालाब का निर्माण		25.630	0.000					
9		दुमका	रामगढ़	लेटो	तालाब का निर्माण		19.355	0.000					
10		दुमका	रामगढ़	तालझरनी	तालाब का निर्माण		20.315	0.000					
11		दुमका	रामगढ़	महेशपुर	तालाब का निर्माण		26.834	0.000					
12		रांची	बुन्डु	तैमारा	तैमारा में तालाब का निर्माण		12.195	0.000					
13		दुमका	मसलिया	बेदियाचक	तालाब का निर्माण		15.460	0.000					
14		प0 सिंहभूम	खूंटपानी	बागु सेरांग	तालाब का निर्माण		19.962	0.000					
15		साहेबगंज	बरहेट	रक्सी	रक्सी में तालाब निर्माण		17.835	0.000					
16		रांची	बुरमू	आड़ा–1	तालाब का निर्माण		19.896	0.000					
17		साहेबगंज	पथना	दलाही अमरपुर	तालाब का निर्माण		14.990	0.000					
18		रांची	सोनाहातु	बंकु	तालाब का निर्माण		23.256	0.000					
19		साहेबगंज	बोरियो	मुर्गाबानी	तालाब का निर्माण (झाबु मराण्डी के जमीन पर)		12.818	0.000					
20		साहेबगंज	बोरियो	दुमकी	तालाब का निर्माण (चिमती पहरिया के जमीन पर)		12.795	0.000					
21		जामतारा	फतेहपुर	बानरनच्चा	तालाब का निर्माण, प्लॉट सं0–700		15.808	0.000					

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

(राशि लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	गाँव	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2014 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची (RNCIRR035)	साहेबगंज	बोरियो	मोतीडीह	तालाब का निर्माण (ओमकार साह के जमीन पर)	69/24.10.14	11.307	0.000					
23		साहेबगंज	बोरियो	पतलोहरा	तालाब का निर्माण (भागन सोरेन के जमीन पर)		11.393	0.000					
24		साहेबगंज	बोरियो	बथानी	तालाब का निर्माण (बड़की मुरमु के जमीन पर)		12.334	0.000					
25		राँची	तमाड़	मुरपा	सिंचाई तालाब का निर्माण		19.645	0.000					
26		राँची	तमाड़	कुरकुता	सिंचाई तालाब का निर्माण		19.950	0.000					
27		राँची	काँके	गोबरहप्पा	गोबरहप्पा में तालाब का निर्माण		19.017	0.000					
								योग	**0.000**	**510.990**	**510.990**		

आवंटित राशि – ₹ पाँच करोड़ दस लाख निन्यानबे हजार मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

190
12-2-15